संख्या-02/2018/86/71-1-2018-जी-288/2017

प्रेषक

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 10 जनवरी, 2018

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में विभिन्न् मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3406, दिनॉक 17-11-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 51,31,98,000/- (रू0 इक्यावन करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में विभिन्न् मानक मदों में रू0 51,31,98,000/- (रू0 इक्यावन करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1740/दस-2017, दिनॉक 05 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-02/2018/86(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बाँदा तथा बदायूँ।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0 के0 कैंसर संसथान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बाँदा तथा बदायूँ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बाँदा तथा बदायूँ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।